न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–शिवपुरी

1– के.पी सिंह पुत्र श्री प्राण सिंह रावत
2– लख्खूराम पुत्र श्री धर्मा ढीमर
3– पर्वत सिंह पुत्र श्री नन्हेसिंह रावत
निवासीगण – ग्राम इन्दरगढ तहसील नरवर जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदकगण।

विरूद्ध

सरमन सिंह पुत्र श्री रतन सिंह रावत निवासी – इन्दरगढ तहसील नरवर जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

......अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 128/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2017 के विरूद्ध म.प्र.भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार नरवर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही तथा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नरवर का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नरवर द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि सीमांकन हेतु गठित दल प्रभारी द्वारा रिपोर्ट मय रसीद पंचनामा के पेश आवेदक की भूमि का सीमांकन हो चुका है। भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है प्रकरण समाप्त होकर दा0 रि0 हो। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक कि भूमि पर आवेदकगण का कोई कब्जा नहीं

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2896

के.पी. सिंह आदि विरूद्ध सरमन सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-05-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार नरवर, जिला- शिवपरी के प्रकरण क्रमांक 128/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 06-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी नरवर, जिला- शिवपुरी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये 28/5/19 (आर.के. जैन) सदस्य	